न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2023 बउनवानी मोहम्मद नईम बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री मोहम्मद बनियाद, नि0 78, गणेश नगर, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास निवारू रोड़ झोटवाडा

GCMS No-2023/33

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.4.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. नगर परिषद क्षेत्र में नगरीय चुनाव,2023 में निर्धारित सीट का विवरण।
2. वार्ड नम्बर 34 से काग्रेस प्रत्याशी असीम खान द्वारा पेश किया आवेदन प्रति।
3. वार्ड 34 से कांग्रेस प्रत्याशी असीम खान के आवदेन के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त पहचान, शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जो संलग्न किये की प्रति।
4. वार्ड 34 से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 31.3.2.23 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(जे) का गलत तरीके से हवाला देते हुए अभी तक मुझ अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जबकि अधिनियम की धारा 8(2) द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि "शासकीय गुप्तबात अधिनियम,1923 (1923 का 19) में उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहूँच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित हितो के नुकसान से अधिक हो।" अर्थात उक्त सूचना दी जा सकती है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2023/719 दिनांक 29.3.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.1.2023 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 368 दिनांक 8.2.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना निजी सूचना की श्रेणी मे होने के कारण ऐसी निजी सूचनाऐं किसी को नही दिये जाने बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 10044/2010 उनवानी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल निर्णय दिनांक 13.11.2019 पारित किया गया है जिसकी पालना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ग्रुप–7 के पत्रांक प.6(1)राज–7/2019/विविध जयपुर दिनांक 12.8.2021 द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार उक्तानुसार चाही जा रही सूचना निजी सूचना की श्रेणी मे आती जो किसी को भी देय नही है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.1[illegible] प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत वैयक्तिक [illegible]तृतीय पक्ष की होने के कारण गोपनीय माना गया है तथा ऐसी निजी सूचनाओ को किसी अन्य व्यक्ति [illegible]लब्ध नही करवाने बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील संख्या 10044/2010 [illegible] लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 [illegible] निर्देश दिये गये है [illegible] परिप्रेक्ष्य मे भी उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:37:27 IST
Reason: SelfAttested